मु.नं. 36/2016 धुका बनाम नागजी वगैरह

21.10.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्षकारान उप.। अप्रार्थी संख्या 5 व 5 को बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थीगण काउन्टर क्लेम का जवाब पेश करना नही चाहते है। अतः प्रार्थीगण का जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बिजरोल गोलिया पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 282, 283 कुल रकबा 2.76 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की अलग तरमीमसुदा आयी हुई है। तथा इसी अनुसार मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी की भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी पैदा कर ट्रैक्टर से माठे तौड़कर तवी निकालकर समतल कर निर्माण कर रहे है। आराजी से बेदखल करने के लिए व पक्का निर्माण कार्य करने को तुले हुए है। अप्रार्थीगण को निर्माण कार्य से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई रूपयों–पैसो में किया जाना कतई संभव नही है। इस प्रकार तीनों आधारभूमि बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने से मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी हम प्रतिवादीगण व वादी वर्षो से जिस कदर वर्तमान में काबिज हैं उसी कदर काबिज चले आ रहे है तथा किसी ने कोई नया कब्जा नही किया है उसी अनुसार कब्जा है परन्तु समस्या सैटलमेन्ट अधिकारियों की बिना जांच किए बिना सहमति से कम ज्यादा रकवा कर गलत बंटवाड़ा करने से व उसके आधार पर अभी राजस्व रेकर्ड की जानकारी होने पर वादी की नीयत हम प्रतिवादीगण की भूमि जो वादी के नाम गलत दर्ज हो गई है जिसे हमने मेडबंदी कर खाद–मिट्टी डालकर कुआ व टयूबेल खुदवाकर अंदर विद्युत कनेक्शन लेकर भूमि की मूल्यवृद्वि की है, जिसे हड़प करने का गलत इरादा पालकर राजस्व रेकर्ड के आधार पर यह प्रार्थना पत्र/वाद पेश किया है जो गलत है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमावे। तथा हमारे बंट व कब्जे की वादग्रस्त भूमि में न तो प्रार्थी स्वयं किसी प्रकार से कोई दखलंन्दाजी करावें। तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थित बनाये रखे। इस आशय की काउन्टर टी.आई. बहक अप्रार्थीगण विरूद्व प्रार्थी सादीर फरमावे।

हमनें वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रा[illegible] पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्व अंतिम [illegible] से [illegible] किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण [illegible] वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा [illegible] पटवार हल्का बिजरोल तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 282, [illegible]3 कुल रकबा 2.76 हैक[illegible] भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रा[illegible] फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:11:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner